Date 01/07/2020 Page- 1 to 3

B.A. PART - 2nd

POLITICAL SCIENCE

PAPER - IIIrd (INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS)

CH - Ist (FORMATION OF THE CONTITUTENT ASSEMBLY)

LECTURE NO. - 40 (FORTY)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

संविधान सभा से तात्पर्य
(Meaning of Contitutent Assembly) —

संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को 'संविधान सभा' कहा जाता है।

पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ लिखित संविधान है, वहाँ समान्यतया संविधान का निर्माण संविधान सभाओं के माध्यम से ही किया जाता है।

संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही है।

इंग्लैण्ड के समतावादियों तथा हेनरीमैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किन्तु सर्वप्रथम अमेरीका और फ्रांस में इस विचार को क्रियांवित किया गया।

जेनिंग्ज ने संविधान सभा को इस प्रकार परिभाषित किया है —

" संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है।"

Next —

Date __/__/____

Saathi

भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उद्भव और विकास -

भारत में संविधान सभा गठन के बीज स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन में ही छिपे हुए थे, क्योंकि यहाँ के जनता स्वतंत्रता प्राप्त कर अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करना चाहते थे।

संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के 'स्वराज्य विधेयक' में होते हैं जिसे तिलक के निर्देशन तैयार किया गया था।

20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गाँधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।"

1924 में पं० मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की माँग प्रस्तुत की, परन्तु सरकार के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम०एन० राय द्वारा रखा गया।

वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक माँग की गई।

दिसम्बर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गयी और 1937 एवं 1938 के अधिवेशनों में इस माँग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया।

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/______

कि " एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एक-मात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं।"

1938 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की।

अगस्त, 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि "भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे।"

1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया।

अन्त में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया।

x——x——x——x——x

संभावित प्रश्न:

संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ?

Scanned with CamScanner